संख्या : 56/2015/1007(2)/छप्पन-2015-94/2013 टी0सी-ए

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 15 जुलाई, 2015

विषय :नये क्रय किये जा रहे वायुयान सुपर किंग एयर-बी-250 (माडल बी-200जी0टी0) का **Technical Acceptance** के लिए गठित उच्चस्तरीय दल के यू0एस0ए0 यात्रा के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 324/ना0उ0वि0/ईजी0/पी-4/2015, दिनांक 22-6-2015 में किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नये क्रय किये जा रहे वायुयान सुपर किंग एयर-बी-250 (माडल बी-200जी0टी0) पर निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी मैसर्स बीचक्राफ्ट टेक्सट्रान एविएशन विचिटा, कन्सास, यू0एस0ए0 में गठित उच्चस्तरीय दल के अध्यक्ष, श्रीमती अनीता सिंह, प्रमुख सचिव एवं महानिदेशक, नागरिक उड्डयन एवं सदस्य/संयोजक श्री देवेन्द्र स्वरूप, निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वायुयान के टेक्निकल एक्सेप्टेन्स/डिलीवरी हेतु अनुबन्ध की शर्तो एवं विशिष्टयों के अनुसार वायुयान की गुणवत्ता आदि सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही सम्पन्न की की जानी है। इंगित कार्यो को सम्पन्न कराने हेतु उल्लिखित अधिकारी दिनांक 30-7-2015 से दिनांक 08-8-2015 तक (यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) यू0एस0ए0 में रहेगें।

2- उक्तानुसार वायुयान किराया, हवाई अड्डे से होटल तक टैक्सी व्यय, होटल चार्जेज, दैनिक भत्ता एवं यू0एस0ए0 में डलोस, विचिटा आदि विभिन्न स्थानों पर आगमन हेतु आंकलित अनुमानित व्यय कुल रू0 11,00,000/- (रूपये ग्यारह लाख मात्र) के प्रशासकीय एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की जानी है। अत: राज्यपाल महोदय रू0 11,00,000/- (रूपये ग्यारह लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं अग्रिम आहरण की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 11,00,000/- (रूपये ग्यारह लाख मात्र) का अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रश्नगत यात्रा के उपरान्त वायुयान किराया, लोकल यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं होटल किराया आदि से सम्बन्धित व्ययों का विवरणों सहित स्वीकृत धनराशि के समायोजन की सूचना 15 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख- रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - एफ0ए0-1-219-दस/2015, दिनांक 15 जुलाई 2015 ,में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 56/2015/1007(3)/छप्पन-2015-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 को प्रमुख सचिव के अवलोकनार्थ/सूचनार्थ।
5- महानिदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- नियुक्ति अनुभाग-8 को उनके पत्र संख्या- 1008/दो-8-2015-33/एफ बी एस टी(26)/2015, दिनांक 26.6.2015 के संदर्भ में।
9- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालयण्/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in